



झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद
ईटकी रोड, हेहल, राँची - 05

कार्यालय आदेश संख्या...212.../
राँची, दिनांक 01.03.../2019

संचिका संख्या-

दिनांक 28.02.2019 को आयोजित झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के निदेशक मण्डल के बैठक की कार्यावली संख्या 1 में लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के बाजार समितियों का श्रेणीकरण एवं बाजार समितियों द्वारा निर्मित दुकान/गोदाम का किराया का निर्धारण निम्न रूपेण की जाती है :-

श्रेणी	बाजार समितियों का नाम	निर्धारित किराया दर प्रति वर्गफीट प्रति माह	अभ्युक्ति
राजधानी	1 राँची	5 रु०	वाद संख्या WP (c) 2760 / 2018 एवं WP (c) 3599 / 2018 के फलाफल पर बदलाव हो सकती है।
A	2 जमशेदपुर	4 रु०	
	3 धनबाद		
B	1 खूंटी	3.75 रु०	
	2 हजारीबाग		
	3 रामगढ़		
	4 डालटनगंज		
	5 बोकारो		
	6 गिरिडीह		
	7 गढ़वा		
	8 देवघर		
	9 कोडरमा		
	10 सरायकेला		
	11 पाकुड़		
	12 बेरमो		
	13 चाईबासा		
	14 दुमका		
	15 साहेबगंज		
	16 चाकुलिया		
C	1 मधुपुर	3.50 रु०	
	2 बड़हरवा		
	3 लातेहार		
	4 चतरा		
	5 जामताड़ा		
	6 गुमला		
	7 सिमडेगा		
	8 लोहरदगा		
	9 गोड्डा		

उक्त निर्णय निम्नरूपेण लागू होगा :-

1. बाजार समितियों के द्वारा अपने स्तर से किराया निर्धारण प्रथा को समाप्त किया जाता है।
2. बोर्ड के द्वारा निर्धारित किराया दर गोदाम/दुकान दोनों के लिए अनुमान्य होगा।
3. रांची बाजार समिति हेतु निर्धारित 5 रु0 प्रतिवर्ग फीट किराया 01.09.18 की तिथि से प्रभावी होगा।
31.08.18 तक 4 रु0 प्रतिवर्ग फीट के दर से किराया वसूलनीय होगा शेष अन्य सभी समितियों में यह निर्धारित किराया दर 01.03.2019 से प्रभावी होगा।
4. बाजार समितियों द्वारा किराये भुगतान के संबंध में अगर कोई शास्ति वसूलने का आदेश निर्गत है, तो उसे निरस्त किया जाता है।
5. भविष्य में किराया निर्धारण हेतु प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया जाता है।

01/03/2019
प्रबन्ध निदेशक

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्सद
रांची।

ज्ञापांक 769 / रांची
प्रतिलिपि:-

दिनांक 01/03/2019

1. सभी पदाधिकारी, पर्सद (मु0) रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति, सभी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

 

01/03/2019
प्रबन्ध निदेशक

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्सद
रांची।